राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 06/24 भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

GCMS Portal-2024/43

सरकार **बनाम** **भंवर**राम पुत्र जसाराम

जाति– माली, निवासी–बालेसर सत्ता

निर्णय दिनांक– 12 जुलाई 2024

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। संक्षिप्त मे मामला इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जलंधर नगर ने अप्रार्थी के विरूद्ध रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया कि अप्रार्थी ने ग्राम उम्मेद नगर के खसरा नम्बर 1768/686 किस्म गै.मु.भाखर की रकबा 0.1214 है. राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से पत्थर डालकर अतिक्रमण किया है अप्रार्थी के विरूद्ध आर.एल.आर. एक्ट. 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जावे। हमने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया। बावजूद नोटिस तामिल के अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी भूमि आवंटन नियमन की शर्ते पूरी नही करता है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है व मौके से बेदखल करने का आदेश पटवारी हल्का को दिया जाता है तथा दण्ड स्वरूप लगान का 50 गुणा राशि रूपये 120 अक्षरे एक सौ बीस रूपये मात्र जुर्माना आरोपित किया जाता है।

पटवारी हल्का अप्रार्थी को मौके से बेदखल करे एवं आरोपित जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष मे जमा करावें। त.रा.ले. से मांग कायम होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय भरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार बालेसर

RajKaj Ref
8909794

Signature valid

Digitally signed by Ratan Bhawani
Designation : Tehsildar
Date: 2024.07.12 15:58:14 IST
Reason: Approved